

उ०प्र० शासन
महिला एवं बाल विकास अनुभाग-३
संख्या-३८२/६०-३-१२-१(५)०७
लेखनऊः दिनांकः ०९ मई, २०१२

विज्ञप्ति
नियुक्ति

उ०प्र० अनैतिक व्यापार(रोकथाम) नियम-१९९३ के नियम-४० में प्रदत्त शक्तियें का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती आरती श्रीवास्तव, उप निदेशक, महिला कल्याण, निदेशालय, उ०प्र०, लेखनऊ को प्रदेश के संरक्षण गृहों एवं सुधार गृहों का मुख्य निरीक्षक नियुक्त करते हैं।

विमल चन्द्र श्रीवास्तव
विशेष सचिव

संख्या-३८२ (१)/६०-३-१२-१(५)०७, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. निदेशक, महिला कल्याण, उ०प्र०, लेखनऊ।
२. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
३. समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी उ०प्र०।
४. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ०प्र०।
५. समस्त अधीक्षका, संरक्षण गृह/सुधार गृह, उ०प्र०।
६. निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ०प्र०, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त विज्ञप्ति को आगामी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

०९ मई २०१२
(डा० प्रभा मिश्रा)
उप सचिव।